

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/

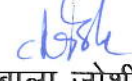
दिनांक: 28.11.2013

कार्यालय आदेश

वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक प.10(46)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 06.09.2013 के अनुसरण में सेवानिवृत्त/ सेवा में रहते हुये मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों की पेंशन संशोधन के कार्य हेतु निम्नांकित सहायक लेखाधिकारियों को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या 5 में वर्णित कार्यालय में सेकिन्डमेन्ट के आधार पर दिनांक 31.03.2014 तक तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम स0ले0अ0/ (सर्वश्री)	लिक नम्बर	वर्तमान पदस्थापन	कार्यालय का नाम जिसके स.ले.अ. पद पर सेकन्डमेन्ट बेसिस पर कार्य सम्पादित करना है
1	2	3	4	5
1	राजीव लोचन शर्मा	6397	आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर

उक्त सहायक लेखाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 02.12.2013 तक आवश्यक रूप से संबंधित पेंशन कार्यालय में अपनी उपस्थिति देकर इस विभाग को फैंक्स द्वारा सूचित करेंगे अन्यथा निर्देशों की अवहेलना के लिए इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/ 7047-7052

दिनांक: 28.11.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
2. आयुक्त परिवहन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को पेंशन विभाग/कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग जयपुर।
4. श्री राजीव लोचन शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय आयुक्त परिवहन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना में अविलम्ब कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना इस विभाग को भिजवावें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एन्ट्री करने हेतु।
6. निजी सहायक निदेशक महोदया।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(कै.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)